युवक छात्रावास /Boys Hostel

Enclose a Demand Draft worth Rs. 30/- only in favour of Registrar, Dr. H.S. Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.) with the form as Application Form Fee.

Form No. ....

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar

(A Central University)

छात्रावास में प्रवेश एवं नवीनीकरण के लिये आवेदन-पत्र

HOSTEL ADMISION FORM

(Including for renewal of Seat)

विद्यार्थी अपना नवीनतम फोटो चिपकायें।

1. नाम/Name..
2. पिता/अभिभावक का नाम/ Name of Father or Guardian ....
3. पूरा स्थायी पता/Permanent home address in full ....
4. आयु/Age ....
5. किस कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं/Class to Which the admission has been sought. ....
6. पिछली परीक्षा का विवरण/Particulars the examination passed.

कक्षा/Class	प्रतिशत/Percentage अंक/Marks	संस्था/Institution	वर्ष/Year

(अंक-सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न कीजिये)(Attach a certified copy of marksheet)

7. यदि आप पहले इस विश्वविद्यालय के छात्रावासी थे तो उसका विवरण।
Previous allotment [if you ware hosteller in this University].

सत्र/Session	कमरा नं./Room No.	छात्रावास /Hostel

8. क्या पिछले सत्र में आपके विरूद्ध अनुशासनहीनता अथवा परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने के संबंध में कोई शिकायत है ? यदि हो तो विवरण दें।
Was there any disciplinary complaint (including UFM) against you during last session? if yes give details.
....
....
9. सामाजिक, साहित्यक सांस्कृतिक अथवा अन्य गतिविधियों में भाग लेने का विवरण।
Details of Participation in social, literary, cultural or any other extra curricular activities.
....
....
10. खेलकूद में अभिरूचि और भाग लेने का विवरण/Details of Participation in games or athletics.
....
....

11. स्थानीय अभिभावक का नाम और पता/Name and address of the Local guardian.

....

....

....

....

12. यदि अनुसूचित जाति/जन जाति के हैं तो यहाँ ☐
(✓) चिन्ह लगावें तथा प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

नोट 1. आवेदन-पत्र पूर्ण होने पर ही स्वीकार किया जावेगा।
2. अपूर्ण अथवा असत्य जानकारी दी जाने पर न केवल छात्रावास में प्रवेश निरस्त होगा ऐसे छात्र के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. छात्रावास प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र में अपना नवीनतम फोटो लगावें एवं फोटो की तीन प्रतियां फार्म के साथ संलग्न करें।

1. मैं वचन देता हूँ कि यदि भविष्य में मेस संचालित होती है तो मैं छात्रावास की मेस का सदस्य बनूंगा। मैं अपने कमरे में भोजन नहीं बनाऊँगा और न ही किसी अनधिकृत व्यक्ति से भोजन के डिब्बे मंगवाऊंगा।
2. मैं अपने कमरे में किसी अनाधिकृत छात्र को निवास नहीं करने दूंगा।
3. मैं छात्रावास के समस्त नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा।

उपर्युक्त किसी वचन के भंग करने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा छात्रावास में मेस प्रवेश निरस्त कर दिया जावे।

मैं ....पुत्र श्री .... यह घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर किसी पुलिस थाने/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। यदि कोई अपराधिक प्रकरण मेरे ऊपर चलता पाया जाये तो छात्रावास से मेरा निष्कासन कर दिया जाये और मेरे लिये आवंटित कमरे का आवंटन रद्द कर दिया जाये।

युवक छात्रावास, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के प्रवेश नियमों को मैंने पढ़ लिया है तथा उन नियमों का मैं पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी। मैं वचन देता/देती हूँ कि नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार मेरा आवंटन रद्द किया जाना मुझे स्वीकार होगा।

निर्धारित समय पर छात्रावास और मेस का शुल्क मैं चुकाऊंगा, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहूँगा/रहूँगी न ही घातक हथियार रखूंगा/रखूंगी। छात्रावास के भोजनालय में ही भोजन करूंगा/करूंगी।

दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थायी पता : ....
....

नाम ....
कक्षा ....
विषय ....
लेखा क्रमांक ....

फोन नं. (कोड नं : ....)..........

नोटः- वेबसाइट से डाऊनलोड किये गये आवेदन-पत्र (फार्म) के साथ रू. 30/-मात्र (आवेदन पत्र शुल्क) का एक बैंक ड्राफ्ट, जो कि कुलसचिव, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) के पक्ष में देय हो, अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

युवक छात्रावास प्रवेश नियम

डॉ.हरीसिहं गौर विश्वविद्यालय, सागर

विश्वविद्यालय परिसर में युवकों के लिए चार : टैगोर, विवेकानंद, रमन और भाभा-छात्रावास हैं। टैगोर और विवेकानंद छात्रावास दोनों में 190-198 कमरें हैं। रमन छात्रावास में 50 कमरें हैं। और भाभा छात्रावास में 24 कमरे हैं। सभी छात्रावासों के प्रत्येक कमरें में दो-दो विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था है। रमन एवं भाभा में केवल शोध छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

प्रवेश की पात्रता :

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के नियमित छात्रों जो कहीं भी नियोजित (नौकरी) में न हो को ही छात्रावास में प्रवेश की पात्रता है।

प्रवेश के लिए अपात्र :

1. परीक्षा में अनुर्तीण छात्र।
2. परीक्षा न देने वाले छात्र।
3. छात्रावास से निष्कासित किये गये छात्र।
4. विगत सत्र में किसी भी प्रकरण में अनुशासनहीनता के प्रकरण में दोशी छात्र।
5. ऐसे छात्र जिनके विरूद्ध पुलिस थाना/न्यायालय में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध/लंम्बित है।
6. शोध छात्रों को छोड़कर ऐसे छात्र जिन्हे बारहवीं (10+2)कक्षा उर्त्तीण करने के पश्चात् छः वर्षो से अधिक समय हो चुका है।
7. ऐसे छात्र जिनके माता-पिता सागर जिला अथवा विश्वविद्यालय परिसर के आवासी हैं।
8. विगत सत्र के ऐसे छात्रावासी छात्र जिनका छात्रावास शुल्क बकाया है अथवा जिन्होने संकाय परिवर्तन किया है।

आवेदन पत्र :

आवेदन पत्र भारतीय स्टेट बैंक, विश्वविद्यालय शाखा में उपलब्ध है। विभाग में प्रवेश हो जाने के तत्काल पश्चात् छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन पत्र भरकर विभाग/अधिष्ठाता कार्यालय में जमा करेगें। निर्धारित आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण कर बारहवीं (10+2) कक्षा और पिछली परीक्षा की प्रमाणित अंकसूची संलग्न कर विभाग/अधिष्ठाता कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र में छात्र को फोटो लगाना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें।

प्रवेश में प्राथमिकता :

विश्वविद्यालय में पहली बार प्रवेशित छात्रों और दूरस्थ स्थानों के छात्रों को छात्रावास प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रत्येक कक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) में उपलब्ध रिक्त कक्षों के आधार पर आबंटन का निर्धारण किया जावेगा। प्रवेश परीक्षा/पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों (मेरिट) के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। जिन विषयों, कक्षाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षायें आयोजित की जाती हैं उनमें प्रवेश पूर्व परीक्षा की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। प्रावीण्य सूची के सभी छात्रों को छात्रावास में प्रवेश देना अनिवार्य नहीं हैं।

1. विगत सत्र के ऐसे छात्रावासियों को जो कि प्रवेश के लिए अपात्र नहीं है, स्थान बचे होने पर ही पिछली कक्षा के परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

2. पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को आरक्षण नियमों के अनुसार निर्धारित कमरों की संख्यां के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आय प्रमाण पत्र जिसकी वैधता अवधि अस्तित्व में हो जमा करना होगा।

3. विकलांग छात्रों एवं भारतीय सेना में कार्यरत व्यक्तियों का शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानांतरण होने पर उनके पुत्रों और राज्य सरकार द्वारा नामांकित छात्रों को उनके लिए आरक्षित कोटा के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

4. विगत सत्र के छात्रावासियों पर छात्रावास शुल्क बकाया होने पर अथवा संकाय परिवर्तित करने पर छात्रावास में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

शुल्क :

प्रत्येक छात्र को निम्न शुल्क देय होगा :

1.	प्रवेश के लिये आवेदन पत्र एवं नियम पुस्तिका शुल्क		रू. 30=00
2.	छात्रावास सुरक्षा निधि	(एक बार)	रू. 300=00
3.	कमरे का किराया (प्रतिमाह/प्रतिछात्र) छः माह की देय (जल, विद्युत व अन्य शुल्क सहित)	प्रतिमाह	रू. 200=00×6
4.	छात्र समिति शुल्क	प्रतिसत्र	रू. 25=00
5.	सुविधा शुल्क	प्रतिसत्र	रू. 120=00
6.	केजुवल (प्रावधिक) छात्र से कमरा किराया+विद्युत शुल्क	प्रतिमाह	रू. 450=00

☞ प्रावधिक प्रवेश एक बार में अधिकतम तीन माह के लिए दिया जा सकता है। पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु आने वाले विद्यार्थियों को भी छात्रावास में जगह होने पर प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

☞ शुल्क जमा करने की अवधि समाप्त होने पर भी शुल्क जमा नहीं करने पर प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन दो रूपया की दर से विलंब शुल्क देना होगा। यह विलम्ब शुल्क कैजुवल विद्यार्थियों पर भी लागू होगा।

☞ छात्रों द्वारा छात्रावास शुल्क सम्पूर्ण सेमेस्टर के लिए एक मुश्त जमा करना होगा।

☞ शोध छात्रों के लिए प्रतिसत्र अपने कमरे का नवीनकरण कराना अनिवार्य है। नवीनकरण न कराने पर और किसी भी परिस्थिति में कमरा खाली नहीं करने पर कमरें के किराये और विद्युत शुल्क के अतिरिक्त रू. 1000=00 (एक हजार रूपया) जुर्माना होगा।

☞ छात्रावास की सुरक्षा निधि No Dues Certificate प्रस्तुत करने पर ही वापिस होगी।

प्रवेश :

छात्रावास प्रशासन द्वारा घोषित तिथि से छात्रावासों में प्रवेश प्रारंभ होता है। छात्रावास कार्यालय द्वारा प्रवेश सूची (एडमीशन लिस्ट) प्रकाशित करने के बाद 10 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क जमा कर उसकी रसीद छात्रावास कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। कमरा आंबटन से पूर्व अपनी फोटो की तीन प्रतियां छात्रावास कार्यालय में जमा करनी होगी।

छात्रों को छात्रावास में प्रवेष लेने से पूर्व छात्रावास के नियमों के पालन का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा जारी) भरना होगा। छात्रावास प्रशासन द्वारा आवंटित कमरा विद्यार्थियों को स्वीकार करना होगा। प्रशासनिक कारण से कमरा परिवर्तन किया जा सकता है।

छात्रावास के नियम :

नया सत्र चालू होने पर पिछले सत्र के समस्त आवंटन रद्द हो जायेगें। अध्यादेश 24 के परिपालन में समस्त छात्रों एवं शोध छात्रों को केवल एक वर्ष अथवा दो सेमेस्टर तक ही छात्रावास में रहने की पात्रता है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रावासियों को परीक्षाओं की समाप्ति पर कमरा खाली कर छात्रावास प्रशासन को सौंपना होगा, अन्यथा उनका परीक्षाफल रोक दिया जायेगा।

आंवटित सीट में पूर्व अनुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, विशेष कारण होने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है।

1. प्रत्येक छात्र द्वारा सेमेस्टर/सत्र प्रांरभ होने पर प्रवेश लेना या प्रवेश का नवीनीकरण कराना आवष्यक है। जो छात्र सेमेस्टर प्रणाली में हैं, उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर के प्रांरभ में प्रवेश या छात्रावास में प्रवेश का नवीनीकरण आवश्यक है, अन्यथा उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. प्रत्येक छात्र को सम सेमेस्टर परीक्षा के पश्चात छात्रावास छोड़ना (लीविंग देना) आवश्यक है, ऐसा न करने पर छात्रावास कक्ष का आंबटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। सेमेस्टर परीक्षा के बाद भी केवल वे छात्र छात्रावास में रूक सकते हैं, जिन्हें कोई अकादमिक कार्य है एवं इसका प्रमाणीकरण संबधित शैक्षणिक विभाग से लाकर प्रस्तुत करना आवशयक है तथा संबधित वार्डन की अनुमति भी आवश्यक है।
3. प्रत्येक छात्र को छः माह की छात्रावास फीस जमा करनी अवाष्यक है। इसी क्रम में फीस आगे के भी भरनी होगी।
4. छात्रावास में विद्युत हीटर का प्रयोग अथवा एसी का प्रयोग वर्जित है। ऐसा करते पाये जाने पर रू. 1000.00 का आर्थिक दण्ड देना होगा। दो बार से अधिक आर्थिक दण्ड के पश्चात्, तीसरी बार गलती दोहराई जाने पर छात्रावास का आबंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
5. छात्र किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने कमरें में न रखे। ऐसा करने पर रू. 1000.00 का आर्थिक दण्ड देय होगा। यह दण्ड भी मात्र दो बार तक मान्य है, इसके पश्चात् तीसरी बार ऐसी गलती करने पर छात्र का आबंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. सभी बकाया देयकों का भुगतान होने के पश्चात् ही परीक्षा पूर्व नो ड्यूज प्रमाण पत्र छात्रावास कार्यालय प्रदान करेगा।
7. यदि छात्र का कोई गेस्ट छात्रावास में छात्र के साथ रूकता है, तो वार्डन की अनुमति व निर्धारित गेस्ट चार्ज आवश्यक रूप से देय होगा।
8. छात्रों द्वारा शराब, जुआ, व नशीली ड्रग्स का प्रयोग प्रतिबंधित है, यदि ऐसा करते कोई छात्र पाया गया तो उसका छात्रावास से तुरन्त आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
9. छात्रावास परिसर में पान/गुटका/बीड़ी/सिगरेट का प्रयोग निशिद्ध है। ऐसा करने पर रू. 500.00 आर्थिक दण्ड देय होगा इस गलती की पुनरावृत्ति करने वाले छात्र को छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
10. छात्रावास में किसी प्रकार की सामूहिक तौर पर राजनैतिक व धार्मिक गतिविधियां करना निषिद्ध है, ऐसा करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही संबधित वार्डन द्वारा की जावेगी।
11. छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधयां/झगड़ा (आपस में या कर्मचारियों से) अथवा हथियार निषिद्ध है। ऐसा करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही/पुलिस कार्यवाही एवं छात्रावास से निष्कासन किया जावेगा।
12. छात्रावास में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले छात्र को छात्रावास से निष्कासित व पुलिस कार्यवाही की जावेगी।
13. उपरोक्त नियमों का पालन न करने पर छात्र की छात्रावास में रहने की पात्रता समाप्त हो जावेगी।

भोजन व्यवस्था :

प्रत्येक छात्रावास में किचिन एवं भोजन कक्ष है। भोजनालय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संचालित नहीं किये जाते। छात्रावासियों के कोऑपरेटिव मेस/छात्रावास समिति द्वारा प्राईवेट ठेके पर संचालित होते हैं। छात्रावास प्रशासन फर्नीचर, पानी, पाकशाला और भोजन कक्ष उपलब्ध कराता है। छात्रावास में प्रत्येक छात्रावासी के लिए कोऑपरेटिव मेस में खाना खाना अनिवार्य होगा। छात्रों की छात्रावासी समिति मेस से संबधित अन्य शर्ते जो कि मेस संचालक प्रस्तावित करेंगें उनका अनुमोदन छात्रावास प्रशासन से कराना आवश्यक होगा। मेस ठेके से संबधित शर्तो का पालन ठेकेदार एवं छात्रावास समिति के लिए अनिवार्य होगा।

सुविधाएं :

प्रत्येक छात्रावासी को पंलग/तखत, टेबिल, कुर्सी, बुक शेल्फ, कमरें में बिजली की फिटिंग छात्रावास प्रशासन द्वारा प्रदत्त किये जायेगें। कॉमन रूम में टी.व्ही., रीडिगं रूम में पत्र-पत्रिकायें तथा खेलकूद सामग्री उपलब्ध है। छात्रावास परिसर में खेलकूद के मैदान की व्यवस्था है। विशवविद्यालय की ओर से कमरों की सफाई केलिये खण्ड-सेवक तथा परिसर एवं प्रसाधन गृहों की सफाई हेतु अपमार्जक की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रावास में टेलीफोन की सुविधा है। यदि टेलीफोन में दूर संचार विभाग की गलती से कोई समस्या आती है तो दूर संचार विभाग से सुधरवाया जायेगा, किन्तु यदि छात्रावासियों से उसमें कोई टूट-फूट गड़बड़ी या चोरी होती है तो छात्रावासियों को चंदा करके उसे सुधरवाना व बदलवाना पड़ेगा। छात्रावास प्रशासन इसमें कार्यालयीन मदद कर सकता है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अलावा यदि अन्य सुविधायें छात्रावासी चाहते हैं तो उसके लिये छात्रावास प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। पूर्व अनुमति के बिना अन्य व्यक्तिगत सुविधाओं की छात्रावासी द्वारा व्यवस्था करने पर सुविधा तत्काल बंद कर दी जायेगी और आवश्यक होने पर छात्रावासी की सुविधा सामग्री जप्त कर ली जावेगी।

खण्डसेवकों से व्यक्तिगत कार्य लेने की अनुमति नहीं है।